## **EAST CENTRAL RAILWAY**

Last Correction Slip No.06 dated 02.05.2022

### **CORRECTION SLIP No - 07**

[GR & SR BOOK-2018]

The following corrections with 04 items have been made in GR & SR Book (English Edition- 2018) and being sent for necessary compliance.

ITEM NO. 01

Delete the existing Sub-rule (1) and (2) of GR 1.01 on page no.1 and substitute the following in its place -

### SHORT TITLE AND COMMENCEMENT. -

- (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

C/S No.7 to G&SR-2018/ECR, Dated- 25.10.2022

([Ref. - The Gazette of India notification No. - 530, dated- 27.07.2022. Railway Board letter No.2020/ Safety(A&R)/19/20 dated 28.07.2022 ]

#### ITEM NO. 02

Delete the existing para (a) of Sub-rule (1) of GR. 4.08 on page no. 96 and substitute the following in its place -

(a) Every train shall be run on each section of the railway within the limits of speed sanctioned for that section by special instructions.

C/S No. 7 to G&SR-2018/ECR, Dated- 25.10.2022

[Ref. - The Gazette of India notification No. - 530, dated- 27.07.2022.& Railway Board letter No.2020/ Safety(A&R)/19/20 dated 28.07.2022 ]

#### ITEM NO. 03

On page no. 96, Add the following as new sub-rule (1) (a) & (b) to SR 4.08 and read the existing SR as serial no. (2) of SR 4.08

- 1. (a) Principal Chief Engineer of Zonal Railways is empowered to sanction further raising of sectional speed up to 110 kmph for already opened section by the Commissioner of Railway Safety.
- (b) Further, sanction of Commissioner of Railway Safety shall be taken by the Zonal Railways for increase of the 'speed of section' beyond 110 kmph.

C/S No.7 to G&SR-2018/ECR, Dated- 25.10.2022

(Ref- The Executive Director/Civil Engineer(G)/ Rly. Board's letter no. - 70/WDO/ORI/RO/I Vol.VIII , dated- 28.07.2022 )



# ITEM NO. 04

On page no. 105, add the following as new sub-rule (1) to SR 4.10 and read the existing SR as serial no. (2) of SR 4.10

(1) Following precautionary condition must be followed during NI to increase the speed of trains to 30 kmph.

(i) ADRM will decide in consultation with DRM that the speed during NI will be 30 kmph at

a station or not.

(ii) Speed can be raised up to 30 Kmph with clamping and padlocking of points by using

suitable clamps.

- (iii) No separate temporary panel is needed. Free Home Signal and Free Starter Signal shall be provided by S&T during NI working. Advanced Starter Signal will work under block protection as usual except when disconnection of Advanced Starter is taken for Block Shifting, and in such case T369(3b) to be issued as per Extant Rules after obtaining line clear.
- (iv) Integrity of points shall be checked by Operating staff as per extant practice adopted during NI.

(v) Physical verification of track shall be done by SM physically after passage of each and every train.

(vi) Necessary safety directions should be incorporated in temporary working instructions for non interlocked working at maximum speed 30 Kmph with suitable infrastructural support as deemed necessary.

(vii) JPO No. 01/2022 issued by PCOM/PCSTE/PCE/PCSO dated 23.08.2022 to be consulted for detail on the topic.

C/S No.7 to G&SR-2018/ECR, Dated- 25.10.2022

(Ref:- Rly Board's Letter No.2020/Safety(A&R)/19/07 Dated 05.09.2022)

All concerned will correct GR & SR book of East Central Railway -2018 accordingly and the same shall be brought to the notice of all the officials concerned for suitable action.

No. ECR/Optg.safety /G&SR/24/505 dated .10.2022

(Salil Kumar Jha ) Principal Chief Operations Manager ECR/ Hajipur

# पूर्व मध्य रेल

## अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 06 दिनांक 02.05.2022

## संशोधन पर्ची संख्या - 07

( सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 2018 )

04 मदों सहित निम्नितिखित संशोधन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक- 2018 में किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहें हैं।

मद संख्या - 01

पृष्ठ संख्या 01 पर वर्तमान सामान्य नियम 1.01 का उप-नियम (1) और (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नतिखित को प्रतिस्थापित करें - संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम,2022 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

प्.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-07 दि: 25.10..2022

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचनासंख्या :- 530,दिनांक 27.07.22एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/20 दिनांक 28.07.2022]

## मद संख्या - 02

पृष्ठ संख्या 110 पर सामान्य नियम 4.08 के उप-नियम (1) (क) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नितिखित को प्रतिस्थापित करें -

(क) रेलवे के प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक रेलगाड़ी को उस गति सीमा के भीतर ही चलाया जाएगा, जो विशेष अनुदेशों द्वारा उस सेक्शन के लिए मंजूर की गई है।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-07 दि: 25.10.2022

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या- 530,दिनांक 27.07.22एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/20 दिनांक 28.07.2022]

## मद संख्या - 03

पृष्ठ संख्या 110 पर निम्नितिखित को सहायक नियम 4.08 के उप-नियम (1) के (क) एवं (ख) के रूप में जोड़े तथा वर्तमान सहायक नियम को सहायक नियम 4.08 के क्रम संख्या (2) के रूप में पढ़ें -

- (1)(क) क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य अभियंता को, रेल संरक्षा आयुक्त दवारा खोले गए किसी भी खंड की खंडीय गति को 110 किमी प्रतिघंटा तक बढाने के लिए स्वीकृति देने का अधिकार है ।
  - (ख) इसके अलावा खंड की गति को 110 किमी प्रतिघंटा से अधिक बढ़ानेके लिए क्षेत्रीय रेलवे को मुख्य संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति लेनी होगी ।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-07 दि: 25.10.2022

( संदर्भ :-कार्यपालकनिदेशक/सिविलइंजीनियर/(जी)/रेलवेबोर्डपत्रसंख्या- 70/WDO/ORI/RO/I -Vol.VIII, दिनांक -28.07.2022 )



पृष्ठ संख्या 121 पर निम्नतिखित को सहायक नियम 4.10 के उप-नियम (1) के रूप में जोड़े तथा वर्तमान सहायक नियम को सहायक नियम 4.10 के क्रम संख्या (2) के रूप में पढ़ें

- (1) नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गाड़ियों की गति बढ़ाकर 30 किमी प्रति घंटा करने के लिए निम्नलिखित सावधानियों /शर्तों का पालन किया जाना चाहिए-
- (i) मं.रे.प्र. की सहमति से अ.मं.रे.प्र. निर्णय लेंगे कि किसी स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गति 30 किमी प्रति घंटा होगा अथवा नहीं ।
- (ii) काँटों को सही क्लैंप द्वारा क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग कर गति को 30 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) कोई अलग से अस्थायी पैनल की आवश्यकता नहीं है। नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान सिगनल एवं दूरसंचार विभाग दवारा फ्री होम सिगनल तथा फ्री स्टार्टर सिगनल दिया जाएगा। एडवांस स्टार्टर सिगनल हमेशा की तरह ब्लॉक संरक्षण के अधीन कार्य करेगा सिवाय जब एडवांस स्टार्टर का डिस्कनेक्शन ब्लॉक शिफ्टिंग के लिए लिया जाएगा और ऐसे मामलों में लाइन क्लियर लेने के बाद मौजूदा नियम के अन्तर्गत टी/369(3बी) जारी किया जाएगा ।
- (iv) काँटों की स्थिति को, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों का पालन करते हुए, परिचालन विभाग के कर्मचारियों दवारा सुनिश्चित किया जाएगा ।
- (v) प्रत्येक गाड़ी के गुजरने के बाद रेल पथ का भौतिक सत्यापन स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा।
- (vi) नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य हेतु अधिकतम 30 किमी प्रति घंटे की गति के लिए आवश्यक संरक्षा नियमों को अस्थायी कार्य संचालन निर्देश मे, आवश्यक समझे जाने पर उचित अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) केसाथ शामिल किया जाना चाहिए ।
- (vii) इस बिषय पर विस्तृत जानकारी प्र.मु.परि.प्र./प्र.मु.सि.दू.इं/प्र.मु.इं/प्र.मु.सं.अधिकरी के दवारा जारी जे.पी.ओ 01 / 2022 दिनांक 23.08.2022 से प्राप्त किया जा सकता है ।

पू.म.रे./ सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-07 दि: 25.10.2022

(संदर्भ :-रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/Safety(A&R)/19/07 दिनांक - 05.09.2022)

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018 को तदनूसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संसूचित करेंगे ।

( सिलेल कुमार झा ) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेल .10.2022

सं॰ ई.सी.आर./परि.संरक्षा/सा. एवं स. नि./24/505 दिनांक: